न्यायालय, समाहर्त्ता –सह– जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आंगनबाड़ी विविध वाद सं0–17/2014 रंजू कुमारी बनाम राज्य (जिला प्रोग्राम पदा0,खगड़िया)

10/2015–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	*आदेश* उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 17/2014 रंजू कुमारी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.15 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि वार्ड सं0–8 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है तथा सोनी कुमारी का चयन गलत ढंग से किया गया था। इसके लिए अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ मुकदमा दाखिल किया था जिसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 19.12.2013 खारिज कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश मनमानी एवं गैरकानूनी है। वे पोषक क्षेत्र के लिए योग्य उम्मीदवार है। निम्न न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों एवं तथ्यों पर चुक की है। निम्न न्यायालय द्वारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलार्थी जाति के तांती हैं जो एनेक्चर–1 के अन्तर्गत आता है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी का कथन है कि देवठा पंचायत के वार्ड संख्या–8 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है और वे हलवाई जाति से आती हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आता है। रंजू कुमारी बनिया जाति की हैं, जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं। इसी आधार पर रंजू कुमारी का आवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा	

अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा केवल परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील वाद प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।

अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में आवेदिका श्रीमती मिनी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है। आवेदिका मिनी कुमारी जाति हलुवाई से आती है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है। किंतु आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोगरी द्वारा सोनी कुमारी का चयन किया गया, सोनी कुमारी सोनार जाति से है, जो पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है और सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका 2011 का उल्लंघन कर सोनी कुमारी का चयन किया गया था।

आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र की जांच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर से करायी गयी थी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पोषक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है तथा मिनी कुमारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती है तथा पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत है। मैपिंग पंजी के क्रमांक 65 पर उसके पति बंटी साह का नाम दर्ज है। सेविका चयन संबंधी मार्गदर्शिका 2011 की संशोधित कंडिका 4.2 ज्ञापांक आई0सी0डी0एस0/423 दिनांक 03.02.2012 के अनुसार सेविका का चयन बाहुल्य वर्ग से ही किया जाना है। इसके बावजूद आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका के पद पर बाहुल्य वर्ग से बाहर के उम्मीदवार सोनी कुमारी पति कैलास प्रसाद गुप्ता जाति सोनार जो पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है चयन सेविका पद पर किया गया, जो चयन संबंधी मार्गदर्शिका 2011 के विरूद्ध है।

निम्न न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष, साक्ष्य जांच, प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों से पाया कि पंचायत देवठा वार्ड नं0 08 में अत्यंत पिछड़ी जाति का बाहुल्य है। आवेदिका मिनी कुमारी अत्यंत पिछड़ी जाति से आती है। सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की संशोधित कंडिका 4.2 ज्ञापांक आई0सी0 डी0 एस0/423, दिनांक 03.02.2012 के अनुसार सेविका का चयन वर्ग बाहुल्य वर्ग से ही किया जाना है। प्रतिवादी सोनी कुमारी का सेविका पद पर चयन सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका 2011 के विरूद्ध किया गया था। उक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.13 को पारित आदेश में प्रतिवादी सोनी कुमारी के चयन को

रद्द कर दिया गया।

निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी रंजू कुमारी, पति नंदकिशोर शर्मा, जो जाति बनियाँ पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आती है का आवेदन को अस्वीकृत किया गया, क्योंकि आंगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है।

अपीलार्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चली आ रही है। दैनिक समचार पत्र ''दैनिक जागरण'' में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया। फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के कथन में कि वे जाति के तांती हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में आता है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्वीकार्य नहीं हो सकता कि वे तांती जाति के हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में आता है। अतः इस आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 19.12.2013 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया। | समाहर्त्ता, खगड़िया

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी खगड़िया (बिहार)

ज्ञा० सं० 451 / विधि दिनांक 27.11.2017

प्रतिलिपि:- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया
27/11/17